प्रेस नोट

बांरा घूस प्रकरण में तत्कालीन बांरा कलेक्टर श्री इन्द्रसिंह राव गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बडी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बांरा कलेक्टर श्री इन्द्रसिंह राव को प्रकरण में गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि दिनांक 09.12.2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा टीम द्वारा ट्रेप आयोजित कर परिवादी श्री गोविन्द सिंह की उनके पेट्रोल पम्प की लीज आवंटन के नवीनीकरण हेतु भूमि संपरिवर्तन एवं एनओसी जारी करने के नाम पर जिला कलेक्टर के पी.ए. श्री महावीर प्रसाद नागर को 1,40,000 हजार रूपये की राशि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन बांरा कलेक्टर श्री इन्द्रसिंह राव की भूमिका संदिग्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हे तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया था एवं ब्यूरो में इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अतिरिक्त महानिदेशक श्री एम.एन. दिनेश के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा था।

प्रकरण के अनुसंधान से तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री इन्द्रसिंह राव के विरूद्ध उनकी भूमिका के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आज सांय 5.00 बजे श्री इन्द्रसिंह राव को, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं श्री सचिन शर्मा उप अधीक्षक पुलिस तथा श्री महेश तिवाडी पुलिस निरीक्षक की विशेष टीम ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी के आवास पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। आरोपी को कल दिनांक 24.12.2020 को न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात कोटा में पेश किया जावेगा।

भगवान लाल सोनी
महानिदेशक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

Scanned with CamScanner